भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1666
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 नवंबर, 2016/4 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया गया)
<u>अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ युवाओं हेतु रोजगार के अवसर</u>

1666. श्री कौशल किशोरः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का कारपोरेट क्षेत्र में अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ युवाओं हेतु रोजगार का अवसर सृजित करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग): निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सकारात्मक कार्रवाई हेतु एक समन्वय समिति का गठन प्रधानमंत्री कार्यालय ने वर्ष 2006 में किया था। इस समन्वय समिति की सेवाएं औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा ली जाती हैं। इसके साथ ही औद्योगिक संघों अर्थात फेडरेशन आफ इंडिया चैम्बर्स आफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्री, (फिक्की) एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एसोचैम) तथा कंफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने अधिकांश कंपनियों के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता (वीसीसी) बनाई है जिसमें समाज के सभी वर्गों को रोजगार देने में समान अवसर प्रदान करने, समाज के लाभ से वंचित वर्गों को रोजगार देने में पूर्वाग्रह को दूर करने पर जोर देने के साथ-साथ कौशल उन्नयन, सतत प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति प्रदान करके सामाजिक रूप से लाभ से वंचित वर्गों की रोजगार प्राप्ति की क्षमता में वृद्धि की गई है। तीन औद्योगिक संघों के संदर्भ में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा उपलब्ध कराएगी निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई पर अद्यतन अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक 'क' में दिया गया है।

*****

<u>अनुलग्नक 'क'</u>

<u>दिनांक 25 नवंबर, 2016 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1666 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक</u>

निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की अद्यतन स्थिति का संक्षिप्त सार

(I) <u>कंफेडरेशन-आफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)</u>

(क) सकारात्मक कार्रवाई परिषद का गठन किया गया है। सकारात्मक कार्रवाई परिषद ने सकारात्मक क्षेत्र के पांच क्षेत्रों-रोजगार योग्यता, और उद्यमिता, शिक्षा एवं रोजगार का पता लगाया है।

(ख) सकारात्मक निधि का गठन किया गया है।

(ग) विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 260174 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(घ) अनूसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 128362 छात्रवृत्तियां दी गई हैं।

(ङ) 106 उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयेाजित किए गए हैं।

(च) 935 कंपनियों ने स्वैच्छिक आचार संहिता अपनाई है।

(II) <u>फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्री, (फिक्की)</u>

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 261750 अभ्यर्थियों को विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया है।

(ख) अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 2493 छात्रवृत्तियां दी गई हैं।

(ग) अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के 38380 विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की गई है।

(घ) 478 कंपनियों में स्वैच्छिक आचार संहिता अपनाई है।

(III) एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एसोचैम)

(क) 1038 कंपनियों में स्वैच्छिक आचार संहिता अपनाई है।

(ख) अनूसचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 380 विद्यार्थियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया है।

(ग) अनूसचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आईआईटी/आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थानों में अध्ययन करने के लिए 3387 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं।

(घ) 35956 अभ्यर्थियों को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

*****